

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. भोजराज मालानी पुत्र फतेहचन्द जी मालानी, जाति-सिंधी, निवासी-446, राधिका रेजिडेन्सी-प्रथम, सिरोही, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म:- राधा सेल्स एजेन्सी, 446, राधिका रेजिडेन्सी-प्रथम, सिरोही, जिला- सिरोही

2. संजय सिंह, निवासी- Plot No.2272-75, Phase II. Industrial Area, Sonipat (Haryana)

फर्म:- Bikanerwala Foods Pvt. Ltd., Plot No.2272-75, Phase II Industrial Estate, Sonipat (Haryana)-131029

3- Bikanerwala Foods Pvt. Ltd., Plot No.2272-75, Phase II Industrial Estate, Rai, Sonipat (Haryana)-131029

प्रकरण संख्या: 45/2021

“अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री रमन मिश्रा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से
2. श्री बैद्यनाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, बीकानेर वाला फूड्स प्रा.लि.

-: निर्णय :-

दिनांक 11 फरवरी, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 07.11.2020 को 3.00 पी.एम. पर फर्म राधा सेल्स एजेन्सी, 446, राधिका रेजिडेन्सी-प्रथम, सिरोही, जिला- सिरोही पर पहुँचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से भोजराज मालानी पुत्र फतेहचन्द जी मालानी, निवासी-446, राधिका रेजिडेन्सी-प्रथम, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर विक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) के 96 पैकड पैकेट में से 4 पैकड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) को जांच हेतु खरीदा एवं सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) की कीमत 630/- रुपये नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार कर,पेज दो पर



मजिस्ट्रेट
307001.

खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1250, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। फिर खरीदशुदा सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा खरीदशुदा सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) चारों नमूना पैकेटों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1250 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता भोजराज मालानी व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपड़ी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपड़ी से सिलड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 09.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 07.11.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरौही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही से खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता भोजराज मालानी से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) का नमूना S-1250 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा प्रतिवादी भोजराज व निर्माता फर्म बीकानेरवाला फूड्स प्रा. लि. को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच हेतु प्रारूप-8 में आवेदन करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन संबंधित ने पुनः जांच हेतु आवेदन नहीं किया। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण

....पेज तीन पर



a
प्रति. जि. सा. य. चि. सुर.
सिरौही-307001

के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये, लेकिन प्रतिवादी संख्या-1 (भोजराज मालानी) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान नियत तिथि 28.1.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री बैद्यनाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, बीकानेर वाला फूड्स प्रा.लि. उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08.2.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री बैद्यनाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, बीकानेरवाला फूड्स प्रा.लि. उपस्थित हुये एवं निर्माता फर्म बीकानेर वाला फूड्स प्रा.लि. का अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 08.2.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमन मिश्रा भी उपस्थित हुये। प्रकरण में दिनांक 08.2.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में नियत तिथि 08.2.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रमन मिश्रा की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) के नमूनीकरण की कार्यवाही विधि अनुरूप नहीं की गई है। अभिहित अधिकारी तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माता फर्म बीकानेरवाला फूड्स प्रा.लि. को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं भिजवाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) की पालना नहीं की है, जिसके कारण निर्माता फर्म को खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानो ब्राण्ड) के नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने का अधिकार नहीं मिला है, इसलिये आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 07.11.2020 को 3.00 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म राधा सेल्स एजेन्सी, 446 राधिका
....पेज चार पर



प्रति. जिला सचिव
सिरोही-307001.

रेजीडेन्सी-प्रथम, सिरौही, जिला- सिरौही पर गये। उक्त फर्म राधा सेल्स एजेन्सी में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से भोजराज मालानी पुत्र फतेहचन्द जी मालानी, जाति- सिंधी, निवासी-446, राधिका रेजीडेन्सी-प्रथम, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानों ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म सोन पपड़ी (बिकानों ब्राण्ड) के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानों ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बाँय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही एवं श्री लक्ष्मण सिंह, सरस डेयरी, सिरौही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता भोजराज को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानों ब्राण्ड) के 96 पैकड पैकेटों (प्रत्येक 500 किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानों ब्राण्ड) के 4 पैकड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) जांच हेतु खरीदे एवं उसकी कीमत राशि 630/- (अक्षरे रुपये छः सौ तीस मात्र) विक्रेता भोजराज मालानी को नकद अदा कर खरीद बिल प्रोप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता भोजराज, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के कोड एवं क्रमांक S-1250, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता भोजराज व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानों ब्राण्ड) के खरीद शुदा चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोद से चिपकाया तथा चारों नमूना पैकेटों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1250 को नियमानुसार गोद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया, व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता भोजराज मालानी, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म राधा सेल्स एजेन्सी, 446, राधिका रेजीडेन्सी-प्रथम, सिरौही, जिला- सिरौही में खाद्य कारोबारकर्ता भोजराज मालानी से खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानों ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

....पेज पांच पर



अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-3117001.

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकानो ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिलड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 09.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को दिनांक 07.11.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकानो ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1250 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./855/Act/2020/855 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म राधा सेल्स एजेन्सी, 446, राधिक रेजीडेन्सी-प्रथम, सिरौही में खाद्य कारोबारकर्ता भोजराज से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकानो ब्राण्ड) का नमूना S-1250 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2021/92-95 दिनांक 05.01.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी भोजीराज व निर्माता फर्म बीकानेरवालाल फूड्स प्रा.लि. को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारूप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी भोजराज की फर्म राधा सेल्स एजेन्सी, 446, राधिका रेजीडेन्सी-प्रथम, सिरौही द्वारा खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकानो ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम के पैकड पैकेटों को फर्म बीकानेरवाला फूड्स प्रा.लि., प्लॉट नम्बर 42, उद्योग विहार, गौतम बुद्ध नगर, गेट नोयडा से टेक्स इनवोईस नम्बर 2005008906 दिनांक 20.10.2020 के द्वारा क्रय किये गये हैं, जो खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकानो ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए हैं, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

.....पेज छः पर



चित्त. निवा स. विस्दे
सिरौही-307001.

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री सोन पपड़ी (बिकानों ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी भोजराज मालानी पुत्र फतेहचन्द जी मालानी, जाति-सिंधी, निवासी-446, राधिका रेजीडेन्सी-प्रथम, सिरोही, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म राधा सेल्स एजेन्सी, 446, राधिका रेजीडेन्सी-प्रथम, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बिकानों ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म Bilanerwala Foods Pvt. Ltd., Plot No.2272-75, Phase II Industrial Area Rai, Sonipat (Haryana)-131029, Corporate Office: Bikanerwala Foods Pvt. Ktd., A-28, Lawrence Road, Industrial Area, New Delhi-110035 पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी भोजराज मालानी तथा बीकानेर वाला फूड्स प्रा.लि. के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बैद्यनाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, बीकानेरवाला फूड्स प्रा.लि. को आदेशित किया जाता है कि अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

a
(के.आर.खौड)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

